143

न्यायालय उप जिलाधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी।

बारोदेवी ..... बनाम ..... सरकार

वाद संख्या- 15/2006-07
धारा-145 अमीनशी विनाशु अधिनियम
ग्राम-पूरे हदू, परगना-सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़,
जनपद बाराबंकी।

आदेश

संक्षेप वाद बारोदेवी पुत्र लाल बहादुर, प्रबन्धक, निवासी पूरे हदू, परगना-सिद्धौर, तहसील-हैदरगढ़ ने अमीनशी अधिनियम की धारा संख्या- 82.83.91 अ स्थित ग्राम-पूरे हदू परगना-सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़ को जो विद्यालय भगौतीदेवी लाल बहादुर महाविद्यालय पूरे हदू मालवनगर के नाम दर्ज है, को अवैधानिक नोटिस करने की आज्ञा की गयी है। वाद, सुनने हेतु तहसीलदार हैदरगढ़ को प्रेषित किया, तहसीलदार ने अपना चारणा-पत्र तहसीलदार सिद्धौर द्वारा दिनांक- 7.12.2006 प्रस्तुत करायी गयी है, जिसमें प्रार्थना किया गया है कि गाटा संख्या- 91अ/0.546 के का 2/3 भाग मात्र 0.297, 84/0.410 के 0.103, 82/0.251 का 1/6 भाग मात्र 0.041 भाग- मतौली परगना सिद्धौर वर्ष 1414 से 1419 पर फसलान्त खाता पर स्थानिक आराजी पर भगौती देवी, लाल बहादुर माता विद्यालय पुरे हदू मालवनगर लाल बहादुर द्वारा संख्या द्वारा कब्जित प्रबन्धक बारोदेवी पुत्र लाल बहादुर निवासी पूरे हदू के नाम सीधे सरकारी अभिलेख में दर्ज है तथा वर्णित भूमि को प्रयोग विद्यालय का भवन बनाने के लिये करना चाहता है। वाद भूमि संक्रमणीय भूमिधर की है। अतः विधिक रूप से अधिक तोषित करने में कोई विधिक व्यवधान नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष की भूमि 0.354 है० को अ० धारा-145 के अन्तर्गत अधिक तोषित करने की संस्तुति की जाती है। जिस पर सहमति की दशा में तहसीलदार हैदरगढ़ द्वारा दिनांक- 6.12.2006 को अग्रसारित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार हैदरगढ़ की आख्या दिनांक- 6.12.2006 सम्यक संयत प्रतीत होती है।

अतः तहसीलदार हैदरगढ़ की आख्या दिनांक 6.12.2006 के आधार पर ग्राम पूरे हदू, परगना सिद्धौर तहसील हैदरगढ़ की मतौनी वर्ष 1414 से 1419 के खाता संख्या-11 गाटा संख्या-91अ/0.546 का 2/3 भाग मात्र 0.297, खाता संख्या-25 गाटा संख्या- 84/0.410 का 103/410 भाग मात्र 0.103, खाता संख्या-25 गाटा संख्या- 82/0.251 का 1/6 भाग मात्र 0.041 कुल तीन किता रकबा- 0.354 की अभिवृत्ति भगौतीदेवी लाल बहादुर महाविद्यालय पूरे हदू मालवनगर लाल बहादुर शास्त्री संख्या द्वारा संचालित प्रबन्धक बारोदेवी पुत्र लाल बहादुर ग्रामसभा के नाम अंकित है। अमीनशी विनाशु अधिनियम एवं अभि लक्षण अधिनियम की धारा-145 के तहत अधिक तोषित किया जाता है। वाद अभिलेखागार पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- 12/12/06

(ह० अपठनीय)
उप जिलाधिकारी
हैदरगढ़, बाराबंकी।

प्रतिलिपि:- उप निबंधक हैदरगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ह० अपठनीय)
उप जिलाधिकारी,
हैदरगढ़, बाराबंकी।

न्यायालय उप जिलाधिकारी हैदरगढ़
02/12/06
12/06
(03-34-00)
18/10/07
228 शब्द लगभग

सत्य प्रतिलिपि
18.10.07
पेशकार/रा० सह०
उप जिलाधिकारी

COURT FEE
ONE RUPEE
INDIA

टंकारकर्ता के हस्ताक्षर -
मिलानकर्ता के हस्ताक्षर -

Scanned with CamScanner